कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 398 दिनांकः– 12.5.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– चाईबासा–टोन्टो–रोआम पथ के कि0मी0 0.00 से 58.825 कि0मी0 तक चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 21.931 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 409 दिनांक 08.03.2022 एवं पत्रांक 799 दिनांक 30.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/ROAD/~~49703~~ 42722/20~~2~~19 की पांच–पांच प्रतियां Hard Copy एवं Online इस कार्यालय में प्राप्त हुई।

प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में कतिपय त्रुटियां पाई गई थी। जिसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 264 दिनांक 21.03.2022 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया एवं Form-A पार्ट–I एवं पार्ट–II की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति web site पर अपलोड करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया।

तदोपरांत वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 799 दिनांक 30.04.2022 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव ऑन–लाईन Form-A पार्ट–I एवं पार्ट–II को प्रतिहस्ताक्षरित प्रति web site पर अपलोड करते हुये प्राप्त हुआ है।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः–

1. प्रस्तावित वनभूमि चाईबासा वन प्रमंडल एवं कोल्हान वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है। इस परियोजना में कुल **21.931** हे0 में (अधिसूचित वनभूमि 17.802 हे0 एवं जंगल–झाड़ी का रकवा 4.129 हे0) प्रस्तावित है।
2. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का वैधानिक स्थिति प्रमण्डलवार निम्नवत् है :–

कमांक	वन प्रमण्डल का नाम	अधिसूचित (P/F) (हे०)	अधिसूचित (R/F) (हे०)	जंगल–झाड़ी (J/J) (हे०)	कुल रकवा (हे०)	वनस्पति घनत्व
1	चाईबासा वन प्रमण्डल	9.235 हे0	शून्य	1.603 हे0	10.838 हे0	0.45
2	कोल्हान वन प्रमण्डल	0.006 हे0	8.561 हे0	2.526 हे0	11.093 हे0	0.65
कुलः–	02	9.241 हे0	8.561 हे0	4.129 हे0	21.931 हे0	

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Form- A (Part-I) विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ दर्ज की गई है साथ ही निर्धारित Format Form- A (Part-I) में आवश्यक अभियुक्ति दर्ज कर **website** पर अपलोड किया गया है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4. वन प्रमंडल चाईबासा एवं कोल्हान वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन (Part-II) अनुशंसा प्रमाण–पत्र सहित उपलब्ध कराया गया है साथ ही निर्धारित Format

Part-II में आवश्यक अभियुक्ति दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का मंतव्य दर्ज है।
6. पार्ट–IV में अधोहस्तारी का मंतव्य दर्ज है।
7. प्रस्ताव के साथ टोपो शीट संलग्न है।
8. प्रस्ताव के साथ Village MAP संलग्न है।
9. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विषलेशन संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ Justification for the utilization of forest land संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का DGPS Report (geo–reference Map, KML file) संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्रमंडलवार/ग्रामवार/प्लॉटवार/ रकबावार संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों, द्वारा अंकित पार्ट II के अनुसार प्रभावित होने वाली कुल वृक्षों की संख्या–**5295** है।
14. FRA,2006 (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006) के तहत् उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–1223 (B) दिनांक–22.09.2017 द्वारा निर्गत दावा रहित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं ग्रामसभा की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
15. पार्ट II के कंडिका II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार इस परियोजना में जगंल झाड़ी का रकवा 4.129 हे0 प्रतिवेदित है। जंगल झाड़ी वनभूमि उपयोग के संबंध में संबंधित उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक 42 (B) रा0, दिनांक 07.01.2021 एवं पत्रांक 684(B) दिनांक 08.04.2022 द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16. प्रस्ताव के साथ कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ अंचल चाईबासा का Authorization Letter संलग्न है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA हेतु आवश्यक राशि जमा करने से संबंधित बचनबद्धता दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
18. प्रस्तावित सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 21.931 हे0 अपयोजित होने वाली वनभूमि के एवज् में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चाईबासा वन प्रमण्डल अन्तर्गत ग्राम– पालीसाई, थाना–687 में कुल–46.021 हे0 गैर वनभूमि (किस्म जमीन–जंगल–झाड़ी भूमि) उपलब्ध कराई गई थीं। परन्तु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (किस्म जमीन–जंगल–झाड़ी भूमि) पर 1000 पौधा/हे0 की दर से क्षतिपूरक वनरोपण संभव नहीं होने के कारण वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल के पत्रांक 196 दिनांक 01.02.2022 द्वारा सिंहभूम रीजन के सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारियों से वृक्षारोपण हेतु अवकृष्ट वनभूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत निम्नांकित विवरणी में अंकित अवकृष्ट वनभूमि को क्षतिपूरक वनरोपण (CA) हेतु चयन की गई :–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम जहाँ CA किया जाना है	वन/ग्राम का नाम	थाना एवं थाना सं०	प्लॉट नं०	रकवा (हे०)	प्राक्कलित राशि (रु०)
1	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	सरूपडीह	सरायकेला–73	2	14.623	13220900.00
2		गुहानाडीह	सरायकेला–72	1	9.022	
3				44	16.177	
4				37	6.716	
		कुल–			46.538 हे०	

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित अवकृष्ट वनभूमि (JJ Land) का नक्शा, DGPS, KML file, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

19. संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा अपने (Part-II) के कंडिका–11 के उपकंडिका (C) में सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा .26 हे0 वनभूमि पर Violation किया गया है। परन्तु कोल्हान वन प्रमण्डल में Violation नहीं हुआ है।

20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी बायोस्पर, टाईगर रिजर्व अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष क्षेत्र में अवस्थित है। इस संबंध में CWLW की मंतव्य हेतु अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चाईबासा से प्राप्त प्रस्ताव की तीन–तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **21.931 हे०** वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:–यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन–तीन मूल प्रतियाँ में।

विश्वासभाजन

12/5

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

10.5.22

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Diversion for Chaibasa-Tonto-Roam Road 21.931 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 21.931 ha of Forest land with penal provision for reported .26 ha area under violation as per MoEF Guidelines dated 29.01.2018.

Date :- 10.05.2022

Place :- Ranchi

Signature

(AJAY KUMAR RASTOGI)
Nodal Officer
Name & Designation
Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)